क्रम संख्या–53

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0–30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 27 मार्च, 2015 ई0

चैत्र 06, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 93 / XXXVI(3) / 2015 / 17(1) / 2015

देहरादून, 27 मार्च, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015"** पर दिनांक 27 मार्च, **2015 को अनुमति** प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या **07** वर्ष, 2015 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ **इस** अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2015

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2015)

(भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित)

उत्तराखंण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम,2014 में अग्रत्तर संशोधन करने के लिएः-

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग(संशोधन) अधिनियम, 2015 है। (2) यह दिनांक 01 फरवरी 2015 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
धारा 9 की उपधारा(1) के परन्तुक का प्रतिस्थापन	2	उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014 की धारा 9 की उपधारा(1) का परन्तुक निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात, "परन्तु यह कि कोई सदस्य जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी हैं, अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् या छः वर्ष का अपना कार्यकाल पूर्ण कर लेने पर, जो भी पहले हो, इस रूप में पद धारण नहीं करेगा।"

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 93/XXXVI(3)/2015/17(1)/2015

Dated Dehradun , March 27, 2015

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand Subordinate Service Selection (Amendment) Bill, 2015"** (Adhiniyam Sankhya 07 of 2015).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 27 March, 2015.

THE UTTARAKHAND SUBORDINATE SERVICE SELECTION COMMISSION (AMENDMENT) ACT, 2015

(Uttarakhand Act No. 07 of 2015)

(Enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty-sixth year of the Republic of India)

An
Act

to further amend the Uttarakhand Subordinate Service Selection Act. 2014

Short title and commencement	1	(1) This Act may be called the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission (Amendment) Act, 2015 (2) They Shall be deemed to have come in to force from 1 st February,2015
Substitution of Proviso to subsection (1) of Section 9	2	Proviso to subsection (1) of Section 9 of the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission Act, 2014 shall be substituted as follows; namely:- "Provided that no Member including the Chairman shall be hold office as such after he is attained the age of Sixty eight years or he has completed his term whicheve is earlier.

By Order,

JAI DEO SINGH,
Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 11 विधायी / 185—2015—100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।